

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला  
(विधि शाखा)

आ दे श

वाद का प्रकार :- 15/2021-22 (Mutation Revision)


श्री रामेश्वर प्रसाद -बनाम- झारखण्ड सरकार वगै०


अपीलार्थी श्री. रामेश्वर प्रसाद पिता-स्व० कन्हैया लाल वर्तमान पता-4/6 पार्क स्ट्रीट चौबे कॉलोनी पी० एस० सरस्वती नगर जिला-रायपुर राज्य-छत्तीसगढ स्थायी पता-ग्राम+पो०-गुमला थाना+जिला-गुमला के द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार, गुमला के दाखिल-खारीज वाद सं०-06/2020-21 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि से संबंधित दावेदारों को पक्षकार नहीं बनाकर सरकार को पक्षकार बनाया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय को निदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त जमीन से संबंधित सभी दावेदारों को पक्षकार बनाते हुए विहित प्रक्रिया का पालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand किया जाता है।

निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

  
23.07.22  
उपायुक्त,  
गुमला

  
23.07.22  
उपायुक्त,  
गुमला